न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 44/2020 (2020/00044)

1. भागीरथ पुत्र प्रेम जाति जाट निवासी भैंरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. सोहन लाल पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी चक 6 बी एच एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. चन्दुराम } पिसरान धनाराम, जाति जाट निवासी चक 6 बी एच एम
2. पतराम } (जाखड़ांवाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, दिनांक 04.02.2019, प्र. सं. 57/2019

उपस्थितिः—

श्री देवीलाल भाम्भू, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री विजय कुमार कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स

श्री खुशकरण सिह खोसा, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 10.08.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 का पेश कर कथन किया कि वादी संख्या 2 के नाम से चक 6 बी एच एम के पत्थर नम्बर 106/379 (20) के किला नम्बर 1 से 10, 14, 15 की 3.036 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 106/380 (42) के किला नम्बर 11 से 20 की 2.530 हैक्टेयर, किला नम्बर 21, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 की 3.541 हैक्टेयर भूमि, पत्थर नम्बर 106/381 (43) के किला नम्बर 3, 8 से 13, 18 से 23 की 3.642 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 106/381 (47) के किला नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1, 2 की 0.481 हैक्टेयर, पत्थर 105/381 (43) के किला नम्बर 1, 3 से 8 की 1.518 हैक्टेयर कुल 12.218 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इसी प्रकार वादी संख्या 1 चन्दुराम के नाम से चक 6 बी एचएम के पत्थर नम्बर 107/380 (44) के किला नम्बर 17 ता 19, 21 से 25 की 1.769 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 106/380 (43) के किला नम्बर 24, 25 की 0.404 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी संख्या 2 पतराम के नाम चक 6 बी एच एम के पत्थर नम्बर 105/380 (42) के किला नम्बर 21 से 25, पत्थर नम्बर 106/380 (43) के किला नम्बर 21 से 23 व वादी संख्या 1 के नाम पत्थर नम्बर 106/380 (43) के किला नम्बर 24, 25, पत्थर नम्बर 107/380 (44) के किला नम्बर 21 से 25 में रास्ता स्वीकृत है एवं पत्थर नम्बर 105/380 (42) में 0.076 हैक्टेयर खाला दर्ज है। यह रास्ता प्रत्येक किला में 0.051 हैक्टेयर यानि 4 बिस्वा (43 फुट) दर्ज है। उक्त तीनों मुरब्बों के पश्चिम दिशा में मुख्य सड़क है एवं रास्ता के सामान्तरण दक्षिण दिशा में खाला है। प्रत्येक किला में 0.025 हैक्टेयर ही रास्ता चल रहा है एवं यही रास्ता मौके पर चालू है। किला नम्बर 25 के आगे रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता का वादीगण ही प्रयोग करते आ रहे हैं, 2 बिस्वा रास्ता के अलावा अन्य भूमि रास्ता के उपयोग में नहीं आ रही है। इसलिए रास्ता के लिए 2–2 बिस्वा रास्ता बहुत है। 4–4 बिस्वा रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ है वह गलत है जिसकी आवश्यकता नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी संख्या 2 का वाद स्वीकार कर वादी संख्या 2 की भूमि पत्थर नम्बर 105/380 (42) के किला नम्बर 21 से 25, पत्थर नम्बर 106/380 (43) के किला नम्बर 21 से 23 व वादी संख्या 1 के पत्थर नम्बर 106/380 (43) के किला नम्बर 24, 25, पत्थर नम्बर 107/380 (44) के किला नम्बर 21 से 25 के प्रत्येक में रास्ता के नाम दर्ज 0.051 हैक्टेयर भूमि में से प्रत्येक किला नम्बर में 0.026 हैक्टेयर भूमि के काश्तकार घोषित किया जावे। शेष भूमि रास्ता के रूप में दर्ज रहे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश हुआ एवं दिनांक 04.02.2019 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

3. उभय पक्ष की बहस सु[illegible]

4. अपील पेश करने की [illegible] 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन कि[illegible] खेतों की ओर एक–दूसरे गांव में आया जाया करते हैं। विवादित [illegible]स्ता के चिपते हुए काश्तकार होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कारण अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। साथ ही अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया है, जिसकी जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर बी जे (10) 2003 पेज 59, आर आर टी 2017 (2) पेज 1070, आर आर टी 2016 (1) पेज 93 की नजीरें पेश की।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। विवादित रास्ता के पास चिपती हुई मुख्य सड़क है जिससे लोग आवागमन करते हैं। विवादित रास्ता 4–4 बिस्वा की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त रास्ता का उपयोग वादीगण ही कर रहे हैं किसी अन्य के द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है। अपीलांट ने रेस्पोडेंट को तंग व परेशान करने के लिए अपील पेश की है। अतः धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से इसी बिन्दु पर अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेंट द्वारा धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र का जवाब भी पेश किया। मियाद के बिन्दु पर वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील मियाद बाहर पेश की है। देरी बाबत् कोई समुचित कारण दर्ज नहीं किये हैं। अपील लगभग एक वर्ष विलम्ब से पेश की है जो मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पोडेंट ने आर बी जे (26) 2019 पेज 20 की नजीर पेश की।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

6. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा जवाब पेश कर किया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण रूप से रास्ता को निरस्त नहीं किया है, बल्कि 4 बिस्वा के स्थान पर 2 बिस्वा रास्ता रखा गया है। रेस्पोडेंट द्वारा यह कथन किया है कि तथाकथित रास्ता रेस्पोडेंट के अलावा अन्य किसी के उपयोग में नहीं आ रहा है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित रास्ता अपीलांट के उपयोग में आ रहा हो एवं रास्ता कम करने से उसे क्या नुकसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हो रहा हो। अपीलांट अपने आप को अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार साबित करने में असफल रहा है। साथ ही यह भी साबित नहीं हुआ कि तथाकथित रास्ता अपीलांट द्वारा ही स्वीकृत करवाया हो। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाब स्टेट द्वारा पेश किया गया है जिसमें भी वाद को खारिज करने का कहीं भी निवेदन नहीं किया गया है, बल्कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद को निर्णित करने का निवेदन किया गया है। स्टेट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया गया एवं स्टेट की उपस्थिति में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध राज्य पक्ष की ओर से कोई अपील आदि पेश किया जाना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा यह अपील अपीलाधीन आदेश पारित करने के पश्चात् लगभग एक वर्ष विलम्ब से पेश की है। देरी बाबत कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किये हैं, क्योंकि अपीलांट संख्या 2 एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 एक ही गांव के निवासी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी न हो यह मानने योग्य नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अवधि बाधित होने के साथ–साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से उक्त दोनों बिन्दुओं पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2019 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णयकी प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक 10.8.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/8/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 44 / 2020 (2020 / 00044)

1. भागीरथ पुत्र प्रेम जाति जाट निवासी भैंरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. सोहन लाल पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी चक 6 बी एच एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. चन्दुराम } पिसरान धनाराम, जाति जाट निवासी चक 6 बी एच एम
2. पतराम } (जाखड़ांवाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, दिनांक 04.02.2019, प्र. सं. 57 / 2019

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री देवीलाल भाम्भू, अभिभाषक अपीलार्थीगण, श्री विजय कुमार कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स, श्री खुशकरण सिह खोसा, राजकीय अभिभाषक की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट अवधि बाधित होने के साथ– साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से उक्त दोनों बिन्दुओं पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.02.2019 यथावत रखे जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 11.8.21 को जारी की गई।

11/8/21
(करतार सिंह पूनीयॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:23 IST
Reason: SelfAttested